| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| Not applicable | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of. –<br>1. Registrar or Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal<br>-Chairman<br>2. Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal<br>-Member<br>3. Scheduled Castes or Scheduled Tribes Officers from the Central Government Department- Member | Not applicable |

[F.No.A-12011/2/2011-AT]
ARCHANA VARMA, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015

**सा.का.नि**. 358(अ)-केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (2) और उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ख' और समूह 'ग' प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में समूह 'ख' और समूह 'ग' प्रकीर्ण पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ख' और समूह 'ग' प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतनमान वें होंगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : यह व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार के यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद है अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. अनुभाग अधिकारी या न्यायालय अधिकारी | 88* (2015)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4800 रुपए और 4800 रुपए ग्रेड वेतन की श्रेणी में चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर वेतन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए में अकृत्यिक श्रेणी प्रदान की जाएगी । | | |

| **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।** | **भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।** |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा । |

| **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।** | **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।** | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।** |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **प्रोन्नति** :- कुल रिक्तियों का पच्चीस प्रतिशत ऐसे सहायकों से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा चयन के आधार पर भरी जाएगी जो वेतन बैंड– 2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रु. में आठ वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं,<br>**टिप्पण 1.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो; कम न हो ।<br>**टिप्पण 2.-** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।<br>(ii) पच्चीस प्रतिशत रिक्तियां, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता की मेरिट (योग्यता) के क्रम में ऐसे सहायक से भरी जाएंगी जो वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं ।<br>**प्रतिनियुक्ति या आमेलन** :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन काम करने वाले ऐसे व्यक्ति – | समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-<br>1. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो **- अध्यक्ष**<br>2. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य**<br>3. प्रधान रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य** | लागू नहीं होता । |

| | | |
|---|---|---|
| (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या<br>(ii) जिनकी वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. में सहायक या समतुल्य पद धारण किए हुए आठ वर्ष की नियमित सेवा है; और<br><br>(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य।<br>वांछनीय : विधि में डिग्री<br><br>**टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तरित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | | |

IndiaCode

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. सहायक | 55* (2015)<br><br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रुपए | लागू नहीं होता | 20 वर्ष और 27 वर्ष के बीच<br><br>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सेवकों के लिए 5 वर्ष तक तक शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण:-** कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई तारीख आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी। |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **आवश्यक:**<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ।<br><br>**टिप्पण :** अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । | नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । | (i) पचास प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।<br>(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **प्रोन्नति** :- ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने श्रेणी में दस वर्ष से अन्यून सेवा की है ।<br>**टिप्पण 1 :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो ।<br>**टिप्पण 2 :-** प्रोन्नति के लिए नयूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । | समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे -<br>1. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो - **अध्यक्ष**<br>2. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो - **सदस्य**<br>3. प्रधान रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो - **सदस्य** | लागू नहीं होता । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. अभिरक्षक | 18* (2015)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रुपए और ग्रेड वेतन 4200 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **प्रतिनियुक्ति या आमेलन** :- केंद्रीय सरकार के अधिकारी –<br>(क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं; या<br>(ii) जिनकी वेतन बैंड-1+ ग्रेड वेतन 2400 रु. का पद धारण किए हुए श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा है; और | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| | | |
|---|---|---|
| (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य रखते हैं।<br><br>**टिप्पण 1** :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।<br><br>**टिप्पण 2** :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।<br><br>**टिप्पण 3** :- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तरित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारियों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | | |

IndiaCode

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. उच्च श्रेणी लिपिक | 121* (2015)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रु. | अचयन | लागू नहीं होता |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।<br>(ii) पचास प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **(i) प्रोन्नति** :-<br>निम्न श्रेणी लिपिक जो श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं ।<br>**टिप्पण 1 :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-<br>1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गया है<br>**- अध्यक्ष**<br>2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गया है<br>**- सदस्य** | लागू नहीं होता । |

| | | |
|---|---|---|
| के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो ।<br>**<u>टिप्पण 2 :</u>**- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।<br>**(ii) सीमित विभागीय परीक्षा :**<br>निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में सीमित विभागीय परीक्षा के लिए पात्रता सेवा पांच वर्ष होगी ।<br>**(iii) प्रतिनियुक्ति :**<br>(क) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या<br>(ख) ऐसे व्यक्ति जिनकी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में वेतन बैंड – 1+ग्रेड वेतन 1900 रुपए में आठ वर्ष की नियमित सेवा है ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)<br>**<u>टिप्पण 1</u>** :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।<br>**<u>टिप्पण 2 :</u>**- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर | 3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गया है - **सदस्य** | |

IndiaCode

| | | |
|---|---|---|
| विस्तरित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. निम्न श्रेणी लिपिक और हिन्दी टंकण | 201* (2015)<br><br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रु. | अचयन | 18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तक कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं । |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **आवश्यक:-**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा पास या समतुल्य अर्हता ।<br>(ii) कम्प्यूटर पर हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति ।<br>(अनुज्ञात समय-दस मिनट)<br>(प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500/9000 की डिप्रैशन प्रतिघंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) | नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । | (i) पचासी प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अर्हक सीधी भर्ती द्वारा<br>(ii) दस प्रतिशत सीमित विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर<br>(iii) पांच प्रतिशत ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| (i) दस प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह 'ग' श्रेणी के कर्मचारिवृंद जो 1800 रुपए ग्रेड वेतन श्रेणी में है और बाहरवी कक्षा पास है या समतुल्य अर्हता रखते हैं तथा श्रेणी में जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की है, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा के आधार पर उनमें से भरी जाएगी । परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष हैं । (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास वर्ष)<br>**टिप्पण:-** यदि खंड (i) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे कर्मचारियों की | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-<br>1. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो - **अध्यक्ष**<br>2. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट हो । - **सदस्य**<br>3. सरकार के किसी अन्य विभाग का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी - **सदस्य** | लागू नहीं होता । |

IndiaCode

| | | |
|---|---|---|
| ऐसी अधिक संख्या पर पश्चात्वर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए इस प्रकार विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पहले विचार किया जा सके ।<br>(ii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से भरी जाएंगी जो 1800 रुपए ग्रेड वेतन के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं । | | |

[फा. सं. ए-12011/2/2011-ए.टी.]

अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2015

**G.S.R. 358 (E).–** In exercise of the powers conferred by Section 35 read with sub-sections (1) and (2) of Section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) and in supersession of the Central Administrative Tribunal (Group 'B' and 'C' Miscellaneous Posts) Recruitment Rules, 1989 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' and Group 'C' Miscellaneous Posts in the Central Administrative Tribunal, namely: -

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Group 'B' and Group 'C' Miscellaneous Posts) Recruitment Rules, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.-** The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of said posts in the Tribunal:

   provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

   (b) **Power to relax.-** Where the Chairman, Central Administrative Tribunal is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

   (c) **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

IndiaCode

**SCHEDULE**

| **Name of post** | **Number of post** | **Classification** | **Pay band and grade pay or pay scale** | **Whether selection post or non-selection post** | **Age limit for direct recruits** |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| 1. Section Officer or Court Officer | 88* (2015) *Subject to variation dependent on work-load. | General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-ministerial | Pay Band –2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800 and on completion of four years regular service in the grade pay of Rs. 4800/- granted non-functional grade in pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400. | Not applicable | Not applicable |

| **Educational and other qualifications required for direct recruits** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any** | **Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods** |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Fifty percent by promotion failing which by deputation. Fifty percent by deputation or absorption. |

IndiaCode

| **In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made** | **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition** | **Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment** |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Promotion:**<br>**(i)** Twenty-five percent of total vacancies shall be filled on selection by seniority from amongst Assistants with eight years regular service in the pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4600.<br>**Note 1.–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less.<br>**Note 2.–** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that commission. | **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) Consisting of –**<br>**1**. Member of Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Chairman<br>**2.** Member, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal – Member<br>**3.** Principal Registrar or Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Member | Not applicable. |

| | | |
|---|---|---|
| **(ii)** Twenty-five percent of vacancies shall be filled in from amongst Assistants with five years regular service in the pay band-2, Rs.9300-34800 with grade gay of Rs.4600 in order of merit on the basis of Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by Central Administrative Tribunal.<br><br>**Deputation or Absorption: -**<br>Persons working under Central Government or State Government or High Court or Subordinate Courts<br>**(a) (i)** holding analogous post on regular basis; or<br>**(ii)** holding posts of Assistants or equivalent in the pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4600 with eight years regular service; and<br>**(b)** possessing a degree of a recognized university or equivalent.<br>**Desirable:** Degree in Law.<br>**Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 2.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.<br>**Note 3.-** For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Assistant | 55* (2015)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Pay band- 2 Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4600 | Not applicable | Between 20 years and 27 years (relaxable for Government servants and Central Administrative Tribunal employees up to five years, in accordance with the orders issued by Central Government).<br>**Note.-** The Crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission for inviting applications. |

IndiaCode

| (7) | (8) | (9) | 10 |
|---|---|---|---|
| **Essential:**<br>Degree from a recognized University.<br>**Note.–** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. | No | Two year for direct recruits | **(i)** Fifty percent by direct recruitment through Staff Section Commission and<br>**(ii)** fifty percent by promotion |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **Promotion:** The Upper Division Clerks who have rendered not less than ten years service in the grade.<br>**Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less.<br>**Note 2.-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that Commission. | **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of –**<br>**1.** Member, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Chairman<br>**2.** Member, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Member<br>**3.** Principal Registrar or Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Member | Not applicable |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Caretaker | 18* (2015)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Pay band 2 Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4200 | Not applicable | Not applicable |

| **(7)** | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| Not applicable. | Not applicable | Not applicable | By deputation or absorption |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **Deputation or absorption.–**<br>Officers of Central Government –<br>**(a) (i)** holding analogous posts; or<br>**(ii)** holding the posts in pay band-1 with grade pay of Rs. 2400 with eight years regular service in the grade, and<br>**(b)** possessing a degree from a recognized University or equivalent.<br>**Note 1.–** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 2.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on closing date of receipt of application.<br>**Note 3.-** For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade. | Not applicable | Not applicable |

IndiaCode

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Upper Division Clerk | 121* (2015)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2400 | Non- selection | Not applicable |

| **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | (i) Fifty percent by Promotion failing which by deputation<br>(ii) Fifty percent by Limited Departmental Examination to be conducted by Staff Selection Commission |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **(i) Promotion. –-**<br>Lower Division Clerk with eight years regular service in the grade.<br>**Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less.<br>**Note 2.-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that Commission.<br>**(ii) Limited Departmental Examination:** Eligibility service for the Limited Departmental Examination shall be five years regular service in the Lower Division Clerk Grade.<br>**(iii) Deputation:**<br>**(a)** persons holding analogous posts on regular basis in the Central Government or State Government or High Courts and Subordinate Courts thereto; or<br>**(b)** persons holding posts in pay band-1 with grade pay of Rs. 1900/- with eight years regular service in the Central Government or State Government or High Court and Subordinate Court thereto.<br>(The period of deputation including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall not ordinarily exceed three years.)<br>**Note 1.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on closing date of receipt of application.<br>**Note 2.-** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of –**<br>**1.** Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Chairman<br><br>**2.** Joint Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal -Member<br><br>**3.** Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal -Member | Not applicable |

IndiaCode

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Lower Division Clerk and Hindi Typist | 201* (2015)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Pay band-1 Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.1900 | Non-selection | Between 18 years and 27 years.<br>(Relaxable for Government servants in accordance with the instructions or order issued by the Central Government).<br>**Note. -** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission for inviting applications. |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| **Essential: -**<br>**(i)** 12th Class pass or equivalent qualification from a recognized Board or University.<br>**(ii)** A Typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer.<br>(Time allowed- 10 minutes)<br>(35 w.p.m. and 30 w.p.m correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word) | No | Two years for direct recruitment | **(i)** Eighty five per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission.<br>**(ii)** Ten per cent on the basis of departmental qualifying examination.<br>**(iii)** Five per cent on seniority-cum-fitness basis. |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| (i) Ten percent of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff in the grade pay of Rs.1800/- and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of limited departmental examination conducted by Staff Selection Commission. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Schedule Castes or Schedule Tribes).<br>**Note.-** If such employees who qualified in the examination mentioned in above clause (i) are more than the number of vacancies, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying in the earlier examination are considered before those who qualify in the later examination.<br>**(ii)** five percent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have 3 years regular service in post with the grade pay of Rs.1800. | **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of –**<br><br>**1.** Registrar or Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Chairman<br><br>**2.** Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - Member<br><br>3**.** Scheduled Castes or Scheduled Tribes officer from another Government Department - Member | Not applicable |

[F.No.A-12011/2/2011-AT]

ARCHANA VARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode